



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

आयोग भवन, हरिद्वार— 249404

Website-www.ukpsc.gov.in

दूरभाष नं0—01334—244143

विज्ञापन संख्या :: A-2/E-4/A.E./2021-22

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य अभियन्त्रण सेवा परीक्षा—2021

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	::	01 सितम्बर, 2021
ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	::	21 सितम्बर, 2021 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)
परीक्षा शुल्क : Net Banking/Debit Card/Credit Card द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	::	21 सितम्बर, 2021 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)

अति महत्वपूर्ण निर्देश

- (01) अभ्यर्थी उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्या: 79 / 2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोगमें मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं० (एस) 19532 / 2010 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।
- (02) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि 21 सितम्बर, 2021 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date), वह तिथि मानी जाएगी जो अंक-पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details)के विवरण में, Result Declaration Date के कॉलम में, सम्बन्धित शैक्षिक अर्हता के अंक-पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकन हो। विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतया अभ्यर्थी की होगी।
- (03) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- (04) फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम् 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना/लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।
- (05) ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि के पश्चात आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियों यथा शैक्षिक अर्हता एवं अधिमानी अर्हताएं (यदि लागू हो), आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु इत्यादि की प्रविष्टियों में किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (06) प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं Net Banking/Debit Card/Credit Cardके माध्यम से ही आवेदन शुल्क स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
- (07) अभ्यर्थी लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षाके आयोजन हेतु नगरों की सूची के लिए परिशिष्ट-1, परीक्षा योजना के लिए परिशिष्ट-2, पाठ्यक्रम के लिए परिशिष्ट-3, आरक्षण संबंधी दावों के लिए निर्धारित प्रारूप हेतु परिशिष्ट-4, श्रुतलेखक हेतु परिशिष्ट-5 एवं न्यूनतम अर्हक अंक हेतु परिशिष्ट-6 का अवलोकन करें।

(08) लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षामें सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार से पूर्व आयोग द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन—पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ अनिवार्य अर्हता, अनापत्ति प्रमाण पत्र, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण—पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंट आउट भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।

(09) ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि/निर्धारित समय के पूर्व तक आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द (Cancel) कर पुनः आवेदन कर सकते हैं, किन्तु इस दशा में जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा अर्थात् अभ्यर्थी को संशोधित/नवीन ऑनलाइन आवेदन पत्र के सापेक्ष पुनः आवेदन शुल्क जमा करना होगा।

(10) एक अभ्यर्थी के नाम एक से अधिक आवेदन पत्र कदापि स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरता है तो अभ्यर्थी के इस प्रकार प्राप्त समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।

(11) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि एवं नियत समय तक अभ्यर्थी द्वारा "**Online Application**" प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र तथा आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात् ही "**Online Application**" की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी।

(12) ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक शाखाओं (Trade) से अभियांत्रिकी स्नातक उपाधि (Engineering Degree) धारित करते हैं, एक से अधिक शाखाओं (Trade) हेतु आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए अभ्यर्थी को एक ही ऑनलाइन आवेदन करना है। एक से अधिक शाखाओं हेतु आवेदन करने की दशा में एक ही शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क जमा करना होगा। एक से अधिक शाखाओं हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के अन्तर्गत '**परिशिष्ट-2**' में उल्लिखित संबंधित अभियंत्रण विषय की परीक्षा में पृथक—पृथक सम्मिलित होना होगा। मुख्य परीक्षा के आधार पर एक से अधिक अभियंत्रण शाखाओं के सापेक्ष साक्षात्कार हेतु चयनित होने की दशा में अभ्यर्थी को आवेदित शाखाओं के सापेक्ष साक्षात्कार में पृथक—पृथक सम्मिलित होना होगा एवं पृथक—पृथक साक्षात्कार शुल्क जमा करना होगा। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार से पूर्व ली गयी शाखावार/विभागवार वरीयता के अनुसार अंतिम रूप से एक ही पद के सापेक्ष चयनित किया जायेगा।

उदाहरण— यदि कोई अभ्यर्थी सिविल एवं यांत्रिक अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि धारित करता है तो वह सहायक अभियन्ता (सिविल) एवं सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) दोनों के सापेक्ष एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदन कर सकता है। ऐसे अभ्यर्थी को एक ही आवेदन शुल्क जमा करना होगा। उक्त अभ्यर्थी को '**परिशिष्ट-2**' में सिविल इंजीनियरिंग एवं यांत्रिक इंजीनियरिंग हेतु निर्धारित अभियंत्रण विषय के प्रश्न पत्रों में पृथक—पृथक सम्मिलित होना पड़ेगा तथा दोनों शाखाओं के सापेक्ष साक्षात्कार हेतु चयनित होने की दशा में दोनों शाखाओं के सापेक्ष साक्षात्कार में पृथक—पृथक उपस्थित होना होगा एवं पृथक—पृथक साक्षात्कार शुल्क जमा करना होगा।

(13) प्रश्नगत विज्ञापन में 06 विभागों के पद विज्ञापित किये गये हैं। लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार से पूर्व उक्त पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन वरीयता प्रपत्र में विभागवार/पदवार वरीयता का अंकन करना आवश्यक है। पदों का आवंटन प्रवीणता सूची, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शाखावार/विभागवार वरीयता, संगत सेवा नियमावली एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2012 (समय—समय पर यथा संशोधित) के आधार पर किया जायेगा।

प्रश्नगत परीक्षा हेतु विज्ञापन के "**परिशिष्ट-1**" में उल्लिखित नगरों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षाका आयोजन किया जायेगा। लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षातथा साक्षात्कार परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जायेगी।

02. रिक्तियों का विवरण : कुल पद—154

क्र0सं0	विभाग का नाम	पदनाम	पदों की संख्या					
			अनारक्षित	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनु० जनजाति	कुल पदों की संख्या
1.	ग्रामीण निर्माण विभाग	सहायक अभियंता (सिविल)	14	05	03	02	00	24
		सहायक अभियंता (वि०/यां०)	01	00	00	00	00	01
2.	सिंचाई विभाग	सहायक अभियंता (सिविल)	29	09	02	04	02	46
		सहायक अभियंता (यांत्रिक)	06	01	01	01	01	10
3.	लघु सिंचाई विभाग	सहायक अभियंता (कृषि अभियंत्रण)	04	01	00	01	00	06
		सहायक अभियंता (सिविल अभियंत्रण)	02	00	00	00	00	02
4.	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (उत्तराखण्ड संस्थान) जल	सहायक अभियंता (सिविल)	09	06	04	02	00	21
5.	ऊर्जा विभाग	सहायक विद्युत निरीक्षक	01	01	00	00	00	02
6.	लोक निर्माण विभाग	सहायक अभियंता (सिविल)	18	09	07	04	04	42
कुल योग			84	32	17	14	07	154

क्षेत्रिज आरक्षण के अनुसार रिक्तियों का विवरण :

क्र0 सं0	विभाग का नाम	पदनाम	ऊर्ध्वाधर / क्षेत्रिज	कुल पद	क्षेत्रिज आरक्षण के अनुसार भरे जाने वाले पदों का विवरण				
					UF (30%)	EX-SER (5%)	PH (4%)	DFF (2%)	ORPHAN (5%)
1.	ग्रामीण निर्माण विभाग	1. सहायक अभियंता (सिविल)	UR	14	04	—	—	—	—
			ST	00	—	—	—	—	—
			SC	05	02	—	—	—	—
			OBC	03	01	—	—	—	—
			EWS	02	—	—	—	—	—
			योग:-	24	07	—	—	—	—
		2. सहायक अभियंता (वि०/यां०)	UR	01	—	—	—	—	—
			ST	00	—	—	—	—	—
			SC	00	—	—	—	—	—

			OBC	00	—	—	—	—	—
			EWS	00	—	—	—	—	—
			योग:-	01	—	—	—	—	—
2.	सिंचाई विभाग	1. सहायक अभियंता (सिविल)	UR	29	08	01	01 (PB दिव्यांगता हेतु आरक्षित)	01	01
			ST	02	01	—	—	—	—
			SC	09	03	01	01 (PD दिव्यांगता हेतु आरक्षित)	—	—
			OBC	02	01	—	—	—	—
			EWS	04	01	—	—	—	—
			योग:-	46	14	02	02	01	01
	सिंचाईविभाग	2. सहायक अभियंता (यांत्रिक)	UR	06	02	—	—	—	—
			ST	01	—	—	—	—	—
			SC	01	01	—	—	—	—
			OBC	01	—	—	—	—	—
			EWS	01	—	—	—	—	—
			योग:-	10	03	—	—	—	—
3.	लघु सिंचाई विभाग	1. सहायक अभियंता (कृषि अभियंत्रण)	UR	04	01	—	—	—	—
			ST	00	—	—	—	—	—
			SC	01	—	—	—	—	—
			OBC	00	—	—	—	—	—
			EWS	01	—	—	—	—	—
			योग:-	06	01	—	—	—	—
	लघु सिंचाई विभाग	2. सहायक अभियंता (सिविल अभियंत्रण)	UR	02	—	—	—	—	—
			ST	00	—	—	—	—	—
			SC	00	—	—	—	—	—
			OBC	00	—	—	—	—	—
			EWS	00	—	—	—	—	—
			योग:-	02	—	—	—	—	—
4.	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (उत्तराखण्ड जल संस्थान)	सहायक अभियंता (सिविल)	UR	09	02	—	01 (OA, OL दिव्यांगता हेतु आरक्षित)	—	—
			ST	00	—	—	—	—	—
			SC	06	01	—	—	—	—
			OBC	04	01	—	—	—	—
			EWS	02	—	—	—	—	—
			योग:-	21	04	—	—	—	—
5.	ऊर्जा विभाग	सहायक विद्युत	UR	01	—	—	—	—	—

		निरीक्षक	ST	00	—	—	—	—	—
			SC	01	—	—	—	—	—
			OBC	00	—	—	—	—	—
			EWS	00	—	—	—	—	—
			योग:-	02	—	—	—	—	—
6.	लोक निर्माण विभाग		UR	18	05	01	01 (PD दिव्यांगता हेतु आरक्षित)	—	01
			ST	04	01	—	—	—	—
			SC	09	03	—	—	—	—
			OBC	07	02	—	—	—	—
			EWS	04	—	—	—	—	—
			योग:-	42	11	01	01	—	01

नोट :-(क) रिक्तियों की संख्या घट / बढ़ सकती है।

(ख) शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये अधियाचन के अनुसार ग्रामीण निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (उत्तराखण्ड जल संस्थान) के अन्तर्गत विज्ञापित सहायक अभियन्ता के पद शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों की OA, OL, PD एवं PB उपश्रेणी हेतु उपयुक्त / चिन्हांकित है। लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विज्ञापित सहायक अभियन्ता के पद शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों की OA, OL एवं PD उपश्रेणी हेतु उपयुक्त / चिन्हांकित है।

(ग) शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये अधियाचन के अनुसार ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत सहायक विद्युत निरीक्षक पद शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु उपयुक्त / चिन्हांकित नहीं है।

03. पद का स्वरूप :-राजपत्रित व स्थायी।

04. वेतनमान एवं पेंशन :- ₹ 56100–177500 (लेवल–10), अंशदायी पेंशन योजना।

05. अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं :-उपरोक्त पदों हेतु अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता निम्नवत् है—

क्र० सं०	विभाग का नाम	पदनाम	अनिवार्य शैक्षिक अर्हता	अधिमानी अर्हता
1.	ग्रामीण निर्माण विभाग	1. सहायक अभियन्ता (सिविल)	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था या विश्वविद्यालय से सिविल अभियंत्रण में स्नातक उपाधि, या पूर्णतया: अर्ह सहयुक्त सदस्य, जिसने सिविल अभियंत्रण में इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) का भाग "क" और "ख" उत्तीर्ण कर लिया हो।	सीधी भर्ती के मामले में, उन अभ्यर्थियों को, अधिमान दिया जाएगा, जिसने— (क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो; या (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।
		2. सहायक अभियन्ता (वी०/यां०)	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था या विश्वविद्यालय से विद्युत/यान्त्रिक अभियंत्रण में स्नातक उपाधि, या पूर्णतया: अर्ह सहयुक्त सदस्य, जिसने विद्युत या यांत्रिक अभियंत्रण में इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) का भाग "क" और "ख" उत्तीर्ण कर लिया हो।	सीधी भर्ती के मामले में, उन अभ्यर्थियों को, अधिमान दिया जाएगा, जिसने— (क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो; या (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।
2.	सिंचाई विभाग	1. सहायक अभियन्ता (सिविल)	किसी संस्था या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से, यथार्थिति, सिविल अभियंत्रण में कोई उपाधि, या इस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) का	सीधी भर्ती के मामले में, उन अभ्यर्थियों को, अधिमान दिया जाएगा, जिसने— (क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो;

			यथार्थिति, सिविल इंजीनियरिंग ब्रान्च का अर्ह एसोशिएट मेम्बर।	(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो। सीधी भर्ती के मामले में, उन अभ्यर्थियों को, अधिमान दिया जाएगा, जिसने— (क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो; या (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।
3.	लघु सिंचाई विभाग	2. सहायक अभियंता (यांत्रिक)	किसी संस्था या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से, यथार्थिति, यांत्रिक अभियंत्रण में कोई उपाधि, या इस्टिट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) का यथार्थिति, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रान्च का अर्ह एसोशिएट मेम्बर।	सीधी भर्ती के मामले में, उन अभ्यर्थियों को, अधिमान दिया जाएगा, जिसने— (क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो;
		1. सहायक अभियंता (कृषि अभियंत्रण)	कृषि अभियंत्रण में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई उपाधि होनी चाहिये।	या (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो। सीधी भर्ती के मामले में, उन अभ्यर्थियों को, अधिमान दिया जाएगा, जिसने— (क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो;
4.	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (उत्तराखण्ड जल संस्थान)	2. सहायक अभियंता (सिविल अभियंत्रण)	सिविल अभियंत्रण में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई उपाधि होनी चाहिये या उसने इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) से सिविल अभियंत्रण में सैक्सन 'ए' और 'बी' में एसोशिएट मेम्बर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।	या (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो। सीधी भर्ती के मामले में, उन अभ्यर्थियों को, अधिमान दिया जाएगा, जिसने— (क) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष तक सेवा की हो;
		सहायक अभियंता (सिविल)	भारत की विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। या सिविल अभियांत्रिकी में इस्टिट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) की 'क' व 'ख' की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।	या (ख) नेशनल कैडेट कोर का "बी" प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो। सीधी भर्ती के मामले में, उन अभ्यर्थियों को, अधिमान दिया जाएगा, जिसने— (क) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो;
5.	ऊर्जा विभाग	सहायक विद्युत निरीक्षक	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/संस्था से विद्युत अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि हो, या इस्टिट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) की विद्युत अभियांत्रिकी में 'क' एवं 'ख' की परीक्षा उत्तीर्ण हो।	या (ख) नेशनल कैडेट कोर का "बी" प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो। सीधी भर्ती के मामले में, उन अभ्यर्थियों को, अधिमान दिया जाएगा, जिसने— (क) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो;
6.	लोक निर्माण विभाग	सहायक अभियंता (सिविल)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। या सिविल अभियांत्रिकी में इस्टिट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) की 'ए' व 'बी' की परीक्षा उत्तीर्ण हो।	या (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो। सीधी भर्ती के मामले में, उन अभ्यर्थियों को, अधिमान दिया जाएगा, जिसने— (क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो;

06. चयन की प्रक्रिया:—भर्ती हेतु विज्ञापित रिक्तियों के सापेक्ष अर्ह अभ्यर्थियों की लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा आयोजित की जायेगी एवं लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षाके आधार पर साक्षात्कार हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों की साक्षात्कार परीक्षा आहूत की जायेगी। अभ्यर्थियों की प्रवीणता, लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त किये गये अंको के कुल योग से निर्मित की जायेगी।

07.आयु सीमा :—

(1) आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष से अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित है। उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या : 264 / XXX(2) / 2021–30(10) / 2019, दिनांक 27 अगस्त, 2021 के द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत समूह 'ख' के पदों पर चयन वर्ष 2021–22 में अधिकतम आयु सीमा में 01 वर्ष की छूट प्रदान की गयी है। इस प्रकार आयु गणना की विनिश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2021 है अर्थात् अभ्यर्थी को आयु गणना की

निश्चायक तिथि को न्यूनतम 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और 43 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 2000 के पश्चात् व 02 जुलाई, 1978 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(2) उच्चतम आयु सीमा में छूटः—विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय—समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उप श्रेणी के अनुसार छूट प्रदान की जायेगी।

उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शासनादेश सं0 1399 दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश सं0 1244 दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

शासनादेश संख्या : 17/2/1981—कार्मिक—2, दिनांक 28 फरवरी, 1985 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को जिन्होंने सेना के आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित, पूर्व सैनिकों तथा कमीशन प्राप्त उन अधिकारियों को जिन्होंने सेना में कम से कम पांच वर्ष की सेवा कर ली हो, निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिकतम पांच वर्ष तक की छूट सेवाकाल को आधार मानकर, दी जायेगी। यह छूट उन सैनिकों/अधिकारियों को भी अनुमन्य होगी जो छः माह की अवधि में कार्यमुक्त होने वाले हों परन्तु निम्नलिखित अनुमन्य नहीं होगी:—

(1) जो कदाचार अथवा अकुशलता के कारण बर्खास्त हुए हों,

(2) जो सेना की सेवा में अवगुण समझी जानें वाली शारीरिक अयोग्यता अथवा अशक्तता के कारण सेवामुक्त हुए हों।

उत्तराखण्ड के दिव्यांग अभ्यर्थियों को शासनादेश सं0 1244, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा समूह ‘‘ख’’ के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

08. आरक्षण:—(क) उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज श्रेणी का दावा करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा। आरक्षण संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

(ख) शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या : 29/XXXVI(3)/2019/03(1)/2019 दिनांक 05.02.2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का लाभ मात्र उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। इस श्रेणी के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं है।

(ग) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनाथ तथा महिला श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी केवल अनारक्षित (सामान्य श्रेणी के अंतर्गत) ही आवेदन कर सकेंगे।

(घ) पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ शासनादेश संख्या 133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009 दिनांक 16.03.2009 के अनुसार सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्यकर्मियों को ही अनुमन्य होगा। शासनादेश संख्या—124/XXX(2)/2019—53(01)/2001 दिनांक 22.05.2020 के प्रस्तर—8 के अनुसार पूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संदर्भ में भारत सरकार के O.M. No. 36034/27/84-Estt. (SCT) dated 02.05.1985, it was decided that once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex-serviceman for his re-employment, his ex-

serviceman status for the purpose of re-employment in Government would cease" का प्राविधान राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है।

(च) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारूप पर मुद्रित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें मुख्य परीक्षा में सफल होने की दशा में ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ साक्षात्कार परीक्षा से पूर्व अन्य सभी शैक्षणिक अभिलेखों के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। जहां शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर साक्षात्कार परीक्षा से पूर्व ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।

(छ) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को आरक्षण का लाभ शासन द्वारा निर्गत अद्यतन प्रचलित शासनादेशों के आधार पर दिया जायेगा।

(ज) शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या : 397 / XXX(2)2019-30(2)/2019, दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया होना चाहिए।

(झ) शासनादेश संख्या:374(1) / XXX(2) / 2019–30(5) / 2014, दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्धांत परिशिष्ट-5 पर उपलब्ध है।

(अ) यदि अभ्यर्थी क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उप श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(ट) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थी अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें, जिसे यथासमय आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

09. राष्ट्रीयता : सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी—(क) भारत का नागरिक हो;या (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश, केनिया, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो,

परन्तु उपरोक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और कि, श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से लिए भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण—पत्र प्राप्त करले,

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) हो तो पात्रता का प्रमाण—पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के आगे सेवा में इस शर्त में रहने दिया जायेगा कि वह भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी :- ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता प्रमाण—पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण—पत्र प्राप्त उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

10. चरित्र :- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लें।

टिप्पणी— संघ सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किसी संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियन्त्रणाधीन किसी प्राधिकारी या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

11. वैवाहिक प्रास्थिति :—सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होंगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो,

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती हैं, यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

12. शारीरिक स्वस्थता :— शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये अधियाचन एवं संगत सेवा नियमावली के अनुसार ग्रामीण निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, एवं लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विज्ञापित सहायक अभियन्ता तथा ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत विज्ञापित सहायक विद्युत निरीक्षक पद पर सेवा हेतु, किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद की परीक्षा को उत्तीर्ण कर ले।

लघु सिंचाई विभाग एवं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (उत्तराखण्ड जल संस्थान) के अन्तर्गत विज्ञापित सहायक अभियन्ता पद पर सेवा हेतु, किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उसे आयुर्विज्ञान परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

13. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया

- (1) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.inया <https://ukpsc.net.in>पर जायें।
- (2) विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात <https://ukpsc.net.in>पर जाकर **MenuBar** में **Apply Now**लिंक पर क्लिक करें। **Apply Now**पर Instructions for filling up online application formको सावधानीपूर्वक पढ़ने के पश्चात **Apply Now**पर क्लिक करें।
- (3) **Apply Now**पर क्लिक करने के पश्चात खुले **Registration** फॉर्म पर अपनी सही जानकारी भरकर **Login** हेतु **Password** बनाकर **Continue**पर क्लिक करें। **Continue**पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म पर भरी जानकारी **Confirm Filled Information**फॉर्म पर प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें।

यदि भरी हुई जानकारी सही है तो I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the sameपर **Tick** कर **Submit** पर

क्लिक करें, अन्यथा No, I want to change some detailsपर **Tick**कर **Edit Data**पर क्लिक करें एवं संशोधित detail भरने के पश्चात पुनः **Registration** फॉर्म Submit करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।

- (4) **Submit**पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर Primary Registrationपूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं **RegisteredMobile No**एवं **Email**पर **Message**प्राप्त होगा। तत्पश्चात स्क्रीन पर Click here to login के लिंक पर क्लिक करें।

(5) **Login** करने के पश्चात Educational Details पर विलक कर फॉर्म पर Post Information के अन्तर्गत Post Information में जिस पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं **Tick** करें। एक से अधिक पद के सापेक्ष आवेदन करने की स्थिति में जिस पद/पदों हेतु आवेदन करना चाहते हैं उसके समक्ष **Tick** करें। पद/पदों का चयन करने के उपरान्त चयन किये गये पदों का विवरण Selected Post के अन्तर्गत प्रदर्शित होगा।

फॉर्म पर Educational Qualifications के अन्तर्गत High School, Intermediate एवं Graduation etc का विवरण भरकर **Add Education Details** पर विलक करें। Graduation का विवरण **Add Education Details** के नीचे ग्रिड में प्रदर्शित होगा। एक से अधिक Graduation के विवरण को भरने की स्थिति में **Clear** पर विलक कर Graduation/Post Graduation Details में Qualification Type में पुनः Graduation का चयन कर विवरण भरकर **Add Education Details** पर विलक करें।

उसके पश्चात दी गयी Warning का सम्यक अध्ययन कर **Continue** बटन पर विलक करें। तत्पश्चात **Upload Images** पर विलक कर **Photo** एवं **Signature** को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। **Photo** एवं **Signature** के अपलोड होने के पश्चात फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा, घोषणा को **Tick** करने के बाद शुल्क जमा करने हेतु **Click here to Make Payment** पर विलक करें। **I Agree** पर **Tick** करने के पश्चात **Pay Now** पर विलक कर आवेदन शुल्क जमा करने की कार्यवाही पूर्ण करें। आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात **Print Application Form** पर विलक कर ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त करें।

- (6) परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरान्त आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द (Cancel) कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। रद्द किये गये आवेदन पत्र काजमा किया गया आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा। आवेदन रद्द (Cancel) करने के लिए **Login** कर **Cancel My Application** बटन पर विलक करें। तत्पश्चात एक नई विंडो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक अध्ययन करने के पश्चात घोषणा को **Tick** कर **Proceed to Cancel** बटन पर विलक करें अथवा वापस जाने हेतु **Back** बटन पर विलक करें। **Proceed to Cancel** पर विलक करने के पश्चात अभ्यर्थी के पर्जीकृत मोबाइल पर 0000000000 प्राप्त होगा, जिसको की **Enter OTP** वाली फील्ड्स पर दर्ज कर **Cancel Application** बटन पर विलक करें। आवेदन रद्द (cancel) करने के पश्चात उस रद्द आवेदन के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (7) अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के सम्बन्ध में यदि कोई गलत सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत किये जाते हैं, तो उन्हें सम्बन्धित परीक्षा व आयोग द्वारा प्रस्तावित समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

नोट : 1 आवेदनशुल्क जमा किये जाने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में त्रुटि होने की दशा में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन हेतु अभ्यर्थी **Email-Id/Mobile Number** एवं **Password** के माध्यम से **Login** करने के पश्चात **Update Personal Information** पर विलक कर, **Personal Information**, **Update Educational Information** पर विलक कर, **Educational Qualification** एवं **Reload Images** पर विलक कर, Photo एवं Signature को पुनः अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखें कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नं. को **Edit/Update** नहीं किया जा

सकता। ऑनलाइन आवेदन करते समय उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थी ukpschelpline@gmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं।

- 2 आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात् आवेदन-पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।
- 3 परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से जमा किया जा सकता है। (उक्त परीक्षा हेतु आवेदन-पत्र प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित 26.55 रुपये है।)
4. **उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ अभ्यर्थी** हेतु कोई शुल्क देय नहीं है। किन्तु उक्त अभ्यर्थी को आवेदन पत्र पर डाटा भरने के बाद [Click here for Final Submission](#) बटन पर क्लिक कर आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। तत्पश्चात् आवेदन-पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

14. शुल्क :—प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को Net Banking/Debit Card/ Credit Card के माध्यम से निम्नानुसार शुल्क जमा करना अनिवार्य है:—

क्र०सं० (Sr. No.)	श्रेणी (Category)	आवेदन-शुल्क (Application Fees ₹)	प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fees with Tax ₹)	कुल शुल्क (Total Fees ₹)
01	अनारक्षित	250	26.55	276.55
02	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	250	26.55	276.55
03	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति	100	26.55	126.55
04	उत्तराखण्ड आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	250	26.55	276.55
05	उत्तराखण्ड शारीरिक दिव्यांग	कोई शुल्क नहीं	26.55	26.55
06	उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं

नोट :- उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक अभ्यर्थी आरक्षण के जिस वर्ग या श्रेणी, यथा—सामान्य श्रेणी या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हों, उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

15. अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश :—

- (01) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया, पदों से संबंधित संगत सेवानियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग—दर्शक सिद्धान्तों एवं समय—समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।
- (02) अभ्यर्थियों हेतु Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013 एवं प्रथम संशोधन-2016 और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2012 यथा संशोधन 2013 (प्रथम संशोधन), 2014 (द्वितीय संशोधन), 2015 (तृतीय संशोधन) एवं 2016 (चतुर्थ संशोधन) आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर उपलब्ध है।
- (03) ऑनलाइन आवेदन पत्र में किये गये दावे के सापेक्ष अर्ह अभ्यर्थियों से प्राप्त अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका—2019 (यथा संशोधित) के आलोक में सम्पन्न की जायेगी, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(04) अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु प्रवेश—पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु ऑनलाईन प्रवेश—पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे। प्रवेश—पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।

(05) गलत उत्तरों के लिए दण्ड—लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार)में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative marking) दिया जायेगा –

(क) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प रहेंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंको का एक चौथाई दण्ड के रूप में काटा जायेगा।

(ख) यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देता है, भले ही उसमें से कोई उत्तर सही क्यों न हो, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, तथा इस हेतु दण्ड स्वरूप संबंधित प्रश्न का एक चौथाई अंक काटा जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(06) लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर प्रश्नपत्र एवं सम्बन्धित उत्तर कुंजी के सम्बन्ध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरान्त आपत्तियों के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रति—प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क ₹0 50.00 का भुगतान करना होगा, जिसे किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रति—प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है तो आयोग द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। आपत्तियों के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण संबंधित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त विषय विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।

(07) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर सेवा नियोजक द्वारा निर्गत “अनापत्ति प्रमाण—पत्र” प्रस्तुत करना होगा।

(08) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रोनिक उपकरण सहित किसी प्रकार कि प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं।

(09) किसी भी अभ्यर्थी को अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण—पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की समस्त परीक्षाओं के लिए प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है और उसके विरुद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(10) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अहं नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(11) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन पत्र, उपस्थिति सूची आदि में तथा आयोग के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो आयोग उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।

(12) हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

(13) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(14) यदि कोई अभ्यर्थी अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के सापेक्ष निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है या निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(15) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धितः— कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(16) अँगूठे का निशान (Thumb Impression):— सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपनी परीक्षा के उत्तर-पत्रक में निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बाँये अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दाँये अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।

(17) परीक्षा भवन में आचरण :— परीक्षा केन्द्र/कक्ष में अभ्यर्थी न तो किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे और न ही अव्यवस्था फैलायेंगे तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान भी नहीं करेंगे। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा।

(18) आयोग से किए जाने वाले सभी प्रकार के पत्राचार में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ ही नाम, आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन सं। तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

(19) यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

(20) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि आयोग को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(21) अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएँ आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जायेगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in कासमय—समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

(22) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध Uttarkhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules – 2013 एवं प्रथम संशोधन 2016 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(23) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:— अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना पड़ेगा।

(24) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा :—

1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात् (क) गैर कानूनी रूप से पारितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा तथा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा
2. नाम बदलकर परीक्षा देना है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ०ए०आर० उत्तर प्रत्रक / उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरना हो अथवा
3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना, कूट-रचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा
4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगड़ा / फेरबदल किया गया हो, अथवा
5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा
6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या
7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या
8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बाते लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा
9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं अथवा उत्तर पत्रों का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं अथवा उत्तर पत्रों को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा
10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुचायी हो, या
11. परीक्षा हॉल में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या
12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया है, अथवा
13. उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा ऐसे अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और / अथवा (ख) उसे रथायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (ii) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है। (ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (i) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

(25) आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा—

- (क)** शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित समस्त अंकतालिका, समस्त प्रमाण-पत्र व अनापत्ति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) एवं आरक्षण श्रेणी/उपश्रेणी से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियाँ।
- (ख)** आरक्षण के दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम. / तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासनादेश संख्या-310 / XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अवश्य वैध होना चाहिये।

- (ग) शासनादेश संख्या : 123/xxx(2)/2019–30(1)/2019 दिनांक 29.04.2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, विज्ञापन में निर्धारित आवेदन की अन्तिम तिथि तक निर्गत आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।
- (घ) उद्धारधर/क्षैतिज आरक्षण एवं अधिकतम आयु में छूट की प्राप्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो ऑनलाइन आवेदन किये जाने की अन्तिम तिथि के पूर्व जारी हुआ हो।
- (च) क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लिये जाने हेतु इस आशय का शपथ पत्र कि उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर राज्याधीन सेवाओं में सेवारत नहीं है।
- (26) सम्बन्धित पदों हेतु परीक्षा/चयन परिणाम संगत सेवा नियमावली में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही तैयार किया जाएगा तथा चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।
- (27) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व नियमानुसार अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। यह कार्यवाही नियुक्ति से पूर्व सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा पृथक से की जाएगी।
- (28) अभ्यर्थियों के सूचनार्थ परीक्षा कार्यक्रम एवं अन्य आवश्यक सूचना समय–समय पर आयोग की वेबसाईट एवं दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जायेगी।
- (29) लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा में नॉन–प्रोग्रामेबल सरल बैटरी चालित कैलकुलेटर का प्रयोग प्रश्न पत्र में दिये गये निर्देशों की शर्त के अधीन अनुमन्य है।
- (30) प्रश्नगत परीक्षा में सम्मिलित विभागों हेतु अभ्यर्थियों से वरीयताएं साक्षात्कार से पूर्व ऑनलाईन प्राप्त की जायेगी। ऑनलाईन प्रस्तुत वरीयताओं में कोई भी परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

-SD-

(कर्मन्द्र सिंह)
सचिव

परिशिष्ट-1

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य अभियन्त्रण सेवा परीक्षा-2021 हेतु अत्यधिक संख्या में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा का आयोजन निम्न नगरों में कराया जायेगा :—

S.No.	CITY	CITY CODE
01	Almora	01
02	Bageshwer	02
03	Champawat	03
04	Dehradun	04
05	Rishikesh	05
06	Nainital	06
07	Haldwani	07
08	Haridwar	08
09	Roorkee	09
10	Rudrapur	10
11	Khatima	11
12	Pantnagar	12
13	Pithoragarh	13
14	Pauri	14
15	Kotdwar	15
16	Srinagar	16
17	Chamoli	17
18	New Tehri	18
19	Uttarkashi	19

नोट 1:— अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन—पत्र के सम्बन्धित कॉलम में लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र के लिए नगर के संबंध में अपना विकल्प अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।

2:— आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार आवेदित नगरों में परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य नगर भी आवंटित किये जा सकते हैं। केन्द्र निर्धारण के उपरान्त परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के संबंध में किसी भी प्रकार के अनुरोध/प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

परिशिष्ट-2

सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम/परीक्षा योजना लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

(अ) सामान्य योग्यता परीक्षण

क्र0सं0	विषय	कुल प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक	समय अवधि
1	सामान्य हिन्दी	100	100 (प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का)	02 घण्टा
2	सामान्य अंग्रेजी	100	100 (प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का)	02 घण्टा
3	सामान्य अध्ययन	100	100 (प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का)	02 घण्टा

(ब) अभियंत्रण विषय

क्र0सं0	विषय	कुल प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक	समय अवधि
1	सिविल इंजी0 (प्रथम प्रश्न—पत्र / द्वितीय प्रश्न—पत्र)	180 / 180	360 / 360 (प्रत्येक प्रश्न 02 अंक का)	3 / 3 घण्टा
2	मैकेनिकल इंजी0 (प्रथम प्रश्न—पत्र / द्वितीय प्रश्न—पत्र)	180 / 180	360 / 360 (प्रत्येक प्रश्न 02 अंक का)	3 / 3 घण्टा
3	इलैक्ट्रीकल इंजी0 (प्रथम प्रश्न—पत्र / द्वितीय प्रश्न—पत्र)	180 / 180	360 / 360 (प्रत्येक प्रश्न 02 अंक का)	3 / 3 घण्टा
4	एग्रीकल्चर इंजी0 (प्रथम प्रश्न—पत्र / द्वितीय प्रश्न—पत्र)	180 / 180	360 / 360 (प्रत्येक प्रश्न 02 अंक का)	3 / 3 घण्टा

(स) साक्षात्कार (व्यक्तित्व परीक्षा) – 100 अंक

1	लिखित परीक्षा	1020 अंक
2	साक्षात्कार	100 अंक
कुल योग – 1120 अंक		

सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी तथा सामान्य अध्ययन के लिये निम्नलिखित पाठ्यक्रम निर्धारित है :—
पाठ्यक्रम :-

(अ) सामान्य हिन्दी :-हिन्दी का पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया जायेगा ताकि उम्मीदवार की हिन्दी भाषा की समझ और शब्दों के कुशल प्रयोग की जाँच हो सके। इसका स्तर हाईस्कूल का होगा।

(ब) **सामान्य अंग्रेजी** :—सामान्य अंग्रेजी का पाठ्यक्रम परिशिष्ट –3 में दिया गया है।

(स) **सामान्य अध्ययन** :—सामान्य अध्ययन के प्रश्न–पत्र से सामयिक घटनाओं और ऐसी बातों की, उनके वैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान देते हुए, जानकारी सम्मिलित होगी जो प्रतिदिन के अनुभव में आती है तथाजिनकी किसी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। प्रश्न–पत्र में भारत का इतिहास, राजनीति और भूगोल के ऐसे प्रश्न भी सम्मिलित होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार विशेष अध्ययन किये बिना ही दे सकेंगे। प्रश्न–पत्र में कम्प्यूटर प्रयोग का प्रारम्भिक ज्ञान/सामान्य जानकारी के प्रश्न भी होंगे।

साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षा :-

यह परीक्षा अभ्यर्थियों की सामान्य जागरूकता, बुद्धि, चरित्र, सम्बोधन क्षमता सहित व्यक्तित्व एवं सेवा के लिये सामान्य उपयुक्तता को दृष्टि में रखते हुए सामान्य अभिरुचि के विषयों से सम्बन्धित होंगे।

परिशिष्ट – 3

SYLLABUS FOR COMBINED STATE ENGINEERING SERVICES

WRITTEN EXAMINATION

**Subject : General English
(Objective Type)**

Time: 02 Hours M.M. - 100

No.of questions – 100

UNITS

	M.M.
1. Terms commonly used in office communication	05
2. Direct and Indirect Narration	05
3. Use of Conditionals.	05
4. Proper ordering of jumbled sentences	06
5. Correct use of Tenses	05
6. One-word substitution	05
7. Synonyms/Antonyms/Homonyms	05
8. Use of correct Prepositions	06
9. Subject-Verb agreement	06
10. Spotting the errors pertaining to adjectives, adverbs and determiners	06
11. Use of Verbs-Main, Auxiliary and Modals	06
12. Transformation of sentences	10
13. Idioms and Phrasal Verbs	10
14. Comprehension	20

A passage of appropriate length on scientific/ technical theme for testing the ability of the candidate in the following areas:

- (a) Familiarity with vocabulary**
- (b) Knowledge of the fundamentals of English grammar**
- (c) Thematic understanding of the passage**

Note : Each Multiple choice question shall be of 01 Mark.

CIVIL ENGINEERING (CODE NO.- 01)

PAPER-I

PART - A

a) Theory of Structures: Principles of super-position; reciprocal theorem, unsymmetrical bending. Determinate and indeterminate Structure; simple and space frames; degrees of freedom; virtual work; energy theorem; deflection of trusses; redundant frames, three-moment equation; slope deflection and moment distribution methods; column analogy; Energy methods; approximate and numerical methods. Moving loads shearing force and Bending moment diagrams; influence lines for simple and continuous beams. Analysis of determinate and indeterminate arches. matrix methods of analysis, stiffness and flexibility matrices.

b) Steel Design: Factors of safety and load factor; Design of tension; compression and flexural members; built up beams and plate girders, semi-rigid and rigid connections, Design of stanchions, slab and guesseted bases; cranes and gantry grider; roof trusses; industrial and multi storeyed buildings. Plastic design of frames and portals.

c) R.C. Design: Design of slabs, simple and continuous beams, columns, footing-single and combined, raft foundations, elevated water tanks, encased beams and column, ultimate load design. Methods and systems of prostressing; anchorages, losses in prestress.

PART-B

a) Fluid Mechanics: Dynamics of fluid flow-equations of continuity; energy and momentum. Bernoulli's theorem; caritation, velocity potential and steam function; rotational and irrotational flow, free and forced vertices; flow net, dimensional analysis and its application to practical problems. Viscous flow-flow between Static and moving parallel plates, flow through circular tubes; film lubrication. Velocity distribution in laminar and turbulent flow boundary layer, Incompressible flow through pipes laminar and turbulent flow critical velocity, losses Stampton and moody's diagram. hydraulic and energy grade lines; siphons; pipe network. Forces on pipe bends. compressible flow-Adiabatic and isentropic flow, subsonic and supersonic velocity; mach number, shock wave, Water Hammer, surge Tanks.

b) Hydraulic Engineering: Open channel flow-Uniform and non-uniform flow, best hydraulic cross section. Specific enegry and critical depth, gradually varied flow; classification of surface profiles; control sections; standing wave flume; Surges and waves. Hydraulic jump.

Design of canals- Unlined channels in alluvium; the critical tractive stress, principles of sediment transport regime theories, lined channels; hydraulic design and coat analysis; drainage behind lining.

Canal structures- Designs of regulation work; cross drainage and communication workscross regulatiors, head regulator, canal falls, aqueducts, metering flumes etc., Canal outlets.

Diversion Headworks- Principles of design of different part on impermeable and permeable foundations; Khosla's theory; Energy dissipation; sediment exclusion.

Dams- Design of rigid dams; earth dams; Forces acting on dams: stability analysis.

Design of spillways.

Wells and Tube Wells.

c) Soil Mechanics and Foundation Engineering: Soil Mechanics- Origin and Classification of soils; Atterberg limits. Void ratio : moisture contents permeability, laboratory and field tests, seepage and flow nets, flow under hydraulic structures uplic and quick and condition. Unconfined and direct shear tests; triaxial test; heat pressure theories, stability of slopes; Theories of soil consolidation; rate of sttlement. Total and effective stress analysis, pressure distribution in soils; Boussinesque and Westerguard theories. Soil exploration. Foundation Engineering; Bearing capacity of footings; piles and walls; design of retaining walls; sheet piles and caissons. Principles of design of block foundation for machines.

CIVIL ENGINEERING (CODE NO.- 01)

PAPER-II

PART - A

a) Building construction: Building materials and constructions- timber, stone, brick, sand, surkhi, mortar, concrete, paints and varnishes, plastics, etc, Detailing of walls, floors roofs, ceilings, staircases, doors and windows. finishing of building plastering, pointing, painting etc. Use of building codes. Ventilation, air conditioning lighting and acoustics. Building estimates and specifications. Construction scheduling: PERT and CPM methods.

b) RAILWAYS AND HIGHWAYS ENGINEERING: Railways-Permanent way ballast sleeper; chairs and fastenings; points and crossings different types of turn outs cross over setting out of points. maintenance of track super elevation creep of rail, ruling gradients; track resistance, tractive effort; curve resistance, Station yards, station buildings; platform sidings; turn tables. Signals and interlocking; level crossings.

Roads and Runways- Classification of roads, planning geometric design. Design of flexible and rigid pavements; sub-bases and wearing surfaces. Traffic engineering and traffic surveys; intersections road signs; signal and markings.

Surveying: Plane Table Surveying: Equipment & methods, solution of 3 & 2 point problems. Errors and precaution. Triangulation; Grades, Baseline and its measurement, Satellite station, Intervisibility of Stations; Errors and Least squares. General methods of least squares estimation with interdisciplinary approach, adjustment of level nets and triangulation nets. Matrix notation solutions. Layout of curves: Simple, compound, reverse, transition and vertical curves. Project surveys and layout of Civil Engineering works such as buildings bridges, tunnels, and hydroelectric projects.

PART - B

a) Water Resources Engineering: Hydrology- Hydrologic cycle; precipitation; evaporation-transpiration and infiltration hydrographs, units hydrograph; Flood estimations and frequency. Planning for water Resources- Ground and Surface water resources; surface flows. Single and multipurpose projects storage capacity, reservoir losses, reservoir silting, flood routing. Benefit cost ratio. General principles of optimisation.

b) Water Requirements for crops- quality of irrigation water, consumptive use of water, water depth and frequency of irrigation; duty of water; Irrigation methods and efficiencies.

c) Distribution system for canal irrigation:- Determination of required channel capacity; channel losses, Alignment of main and distributary channels water logging its causes to control design of drainage system; soil salinity. river training- Principles and methods, Storage works-Types of dams (including earth dams.), and their characteristics, principles of design, criteria for stability. Foundation treatment; joints and galleries.

Control of seepage. Spillways different types and their suitability, energy dissipation. Spillway crest gates.

d) Sanitation and Water Supply: Sanitation-Site and orientation of buildings; ventilation and damp proof course; house drainage; conservancy and waterborne system of waste disposal, sanitary appliances, latrines and urinals.

e) Environmental Engineering: Elementary principles of Ecology and Ecosystems and their interaction with environment. Engineering activity and Environmental pollution. Environment and its effects on human health and activity. Air Environment: Major pollutants and their adverse effects, types of air cleaning devices. Water quality: Parameters, adverse effects, monitoring salt purification of streams. Solid Wastes: Collection systems and disposal methods, their selection and operation. Typical features of Water distribution systems: Demand, available need, network analysis, storage, corrosion.

f) Typical features of Sewerage systems: Permissible velocities, paratial flow in circular sewers, non-circular sections, corrosion in sewers, construction and maintenance, sewer upputrenances, Dumping of sewage, Plumbing: Standards & systems. Environmental Management.

MECHANICAL ENGINEERING (CODE NO.- 02)

PAPER-I

PART - A

- a) **Statics:** Equilibrium. Suspension cables. Friction. Trusses. Principle of Virtual work.
- b) **Dynamics:** Kinematics of rigid bodies- plane motion, absolute motion, relative motion, Kinetics of rigid bodies- plane motion, force, mass and acceleration, work and energy, impulse and momentum.
- c) **Theory of Machines:** Velocity and acceleration of links. Cams, Gears and gear trains. Clutches. Belt drives, brakes and dynamometers. Flywheel and governors. Balancing of rotating and reciprocation masses and multicylinder engines. Free, forced and damped vibrations. critical speed and whirling of shafts.
- d) **Mechanics of Solids:** Stress and strain in two dimension. Mohr's circle. Strain rosettes Torsion of circular shafts. Stresses and deflections due to bending of beams. Unsymmetrical bending. Curved beams. Castiglano's theorem. Thick cylinders. Shrink fit. Stability of columns. Theories of failures.

PART - B

- a) **Material Science:** Atomic structure, Crystal systems, Imperfections, Polymers Elastomers and Ceramics. Mechanical behavior of Materials- Elastics and inelastic action, linear and non-linear elastic properties. True and conventional stress strain curves for common engineering materials. Strain hardening, Ductile and brittle transition, Fracture. Creep and Fatigue. Semi-conductors super-conductors and ferrites. Magnetic and dielectric properties.
- b) **Manufacturing Science:** Merchant's theory, Taylor's equation. Machinability. Unconventional machining methods including EDM, ECM and ultrasonic machining. Analysis of forming processes. High velocity forming, Explosive forming. Surface roughness, gauging comparators. jigs and fixtures.
- c) **Production Management:** Work simplification, work sampling, value engineering, line balancing, work station design, storage space requirement. ABC analysis. Economic order, quantity including finite production rate, Graphical and simplex methods for linear programming, transportation model, elementary queuing theory. Quality control and its uses in product design. Use of X,R,P,(sigma) and C Charts. Single sampling plans, operating characteristics curves. Average sample size.

MECHANICAL ENGINEERING (CODE NO.- 02)

PAPER-II

PART - A

- a) **Thermodynamics:** Application of the first and second laws of thermodynamics. Detailed analysis of thermodynamic cycles.
- b) **Fluid Mechanics:** Reynolds transport theorem and its applications. Ideal fluid flow. Velocity distribution and resistance laws for laminar and turbulent flow in pipes. Dimensional analysis and similitude. forces on immersed bodies and boundary layer over a flat plate. Isentropic flow and adiabatic flow, normal and oblique shock waves.
- c) **Heat Transfer:** Critical thickness of Isolation- Conduction in the presence of Heat sources and sinks, Heat transfer from fins. One dimensional unsteady conduction. Time constant for thermocouples. Momentum and energy equations for boundary layers on a flat plate. Dimensionless number. Free and forced connection. Nature of radiant heat. Stefan-Boltzmann law. Configuration factor. Natural and forced convection. IMTD heat exchanger effectiveness and number of transfer units.

PART - B

- a) **Energy Conversion:** Combustion phenomenon in S.I. and C.I. engines. Carburation and fuel injection. Classification of hydraulic turbines, specific speed, Selection of turbines, Microhydropower station and equipment, Centrifugal pump, performance of compressor. Analysis of steam and gas turbines. High pressure boilers. Unconventional power systems including Nuclear Power and MHD system. Utilization of solar energy.
- b) **Environments:** Control. Vapour compression, absorption, steam jet and air refrigeration systems. Properties of important refrigerants. Psychrometric properties, psychrometric relations. Use of psychrometric chart. Estimation of cooling load, supply air conditions, sensible heat factor, system layout.

ELECTRICAL ENGINEERING (CODE NO.- 03)

PAPER-I

This paper will contain two sections (A&B). Section-A will contain Networks and systems, E.M. Theory, control Systems, and Elements of Electronics. Section-B will deal with Power System Analysis and Design, Elements of Electrical Machines, Utilization and drives, and Measurements.

SECTION - A

Networks & Systems: Transient and steady state analysis of systems, state space analysis of networks, operational methods in networks and systems, Laplace Fourier and Z transforms for continuous and discrete system, Frequency response of continuous and discrete systems, response characteristics and stability, R-L & R.C. network synthesis.

E.M. Theory: Analysis of electrostatic and magnetostatic fields. Laplace, Poisson and Maxwell's equations, solution of boundary value problems, electromagnetic wave propagation, ground and space waves, Propagation between Earth station and satellites, Field Concepts of Circuits.

Control Systems: Mathematical modelling of dynamic linear continuous and digital control systems, Block diagrams and signal flow graphs, state space modelling and stability, Error evaluation, Error series compensation, Liapunov methods for stability.

Elements of Electronics: P-N junction diode, Zener Diode, junction triode transistors and their parameters, current, voltage gain and input-output impedance, biasing techniques, common base emitter amplifiers, feed back oscillator, coilpit oscillator and Hartley oscillator, Wave shaping circuits and timebase generators, analysis of multivibrators, digital circuits.

SECTION - B

Power System Analysis and Design: Line parameters and calculations, Performance of Transmission lines, voltage distribution over an Insulator string, string efficiency improvement, sag and tension calculations, conductor vibrations, Disruptive and visual Critical Voltage, Corona loss, Interference between Power and Communication Line, Parameters of single and three core belted cables, Bus admittance matrix, Load flow equations and methods of solutions, Fast decoupled load flow, Balance and Unbalanced Faults and analysis, Digital techniques in Fault Calculations. Power system transients and Travelling Waves, Power system stability, EHV Transmission, HVDC transmission, general design considerations for distribution systems, Design of transmission lines.

Elements of Electrical Machines: Generation of E.m.f., m.m.f. and torque in rotating machines, motor and generator characteristics of d-c, synchronous and Induction Machine, equivalent circuits, commutation and armature reaction considerations, Parallel operation, Phasor and equivalent circuit of power transformer, determination of performance and efficiency, auto-transformers 3-phase transformers.

Utilisation and Drives: Electrical motors for various drives and estimates of their rating, starting Braking and reversing operations of motors, speed control of d-c and induction motors, static power controllers and Electronic circuits for speed control, Inverters and converters, characteristics of Traction motors, Dielectric and Induction Heating.

Measurements: Basic methods of measurement, standards, error analysis, indicating and recording instruments, measurement of voltage, current, power, resistance, inductance, capacitance, power factor, frequency and flux, Instrumentation system for pressure and temperature measurements.

ELECTRICAL ENGINEERING (CODE NO.- 03)

PAPER-II

This paper will contain two sections (A&B). Section-A will contain Industrial Electronics, digital electronics, microwaves and communication system. Section-B will deal with Electrical and special machines, Power system protection, Analog and Digital computation and Elements of Microprocessors.

SECTION - A

Industrial Electronics: Principles and design of single phase and polyphase rectifiers. Smoothing and Filters regulated power supplies, speed control circuits for drivers, invertors d-c to d-c conversion, choppers, times and welding circuits.

Digital Electronics: smal Signal Transistor analysis, Steady State and Transient switching characteristics of semiconductor devices, clipping clamping and switching circuits, Multivibrators, Boolean. Algebra, logic gates, I.C. building blocks and modules, combinational and sequential digital circuits, semiconductor memories.

Microwaves and Communication system: Electromagnetic wave in guided media, wave guide components, resonators microwave tubes, microwave generators and amplifiers. Generation and detection of amplitude- frequency phase and pulse modulated signals using oscillators, modulators and demodulators, comparison of modulated systems, noise problems, channel efficiency, samplings, Theorem. Sound and vision Broad cast transmitting and receiving systems, antennas, transmission line at audio and ultra high frequencies.

SECTION - B

Electrical and special Machines: Rotating magnetic field, Polyphase motor, Torque slip Characteristics, Equivalent Circuit and determination of its parameters. Starterts, speed control, Induction generator Theory and phasor diagrams, characteristics and application of single phase motors, repulsion motor, series motor, E.m.f. equation and phasor diagram for synchronous machines operation on infinite Bus, synchronising power, Sudden short circuit and analysis of oscillogram to determine machine reactances and time constants, synchronous Induction motor. Amplidyne and metadyne operating characteristics and their applications, principles and operation of servo motors.

Power system protection: Switch gear methods of Arc Extinction, Restriling and recovery voltage, Testing of circuit breakers, Protective relays, protective schemes for power system equipment, C.T. and P.T. surges in transmission lines and protection.

Analog and Digital computation: Analysis of op-amplifier, R.C. circuits, use as differentiator and Integrator, simulation of dynamic and algebraic equations, simulation of control systems, Basis of Digital computation, flow charting, numerical analysis for interpolation, curve fitting, area, algebraic linear and nonlinear equations, solution of differential equations through Euler and Rung Kutta Methods. Writing simple programmes for series in AP, CP, HP and combination, equadratic equation roots, Programmes for matrix addition, multiplication and determinants, curve fiting, interpolation, area, linear and non-linear equation, differential equations of first and second order.

Elements of Microprocessors: Data representation and representation of integer and flating point numbers, organisation and programming of a microprocessor, ROM and RAM memories, CPU of a imcrocomputer. Interfacing memory and I/O devices, Programmable peripheral and communication interface, Application of microprocessors for temperature, closed loop process control and data acquisition monitoring system.

AGRICULTURAL ENGINEERING (CODE NO.- 04)

PAPER-I

(a) Fluid Mechanics: Fluid properties, units and dimensions, fluid statics, kinematics of fluids, continuity, Eulers and energy equation, Bernoulli's equation, Impulse momentum principles, dimensional analysis and hydraulic similitude, flow in pipes and open channels and measurements of flow.

(b) Rural Engineering: Kinds of building materials-their properties, timber, brick work and RCC construction, design of slabs, simple and continuous beams, columns, footing, design of foundation, planning and design of rural houses, cost estimation, farm roads, drainage system of villages, Waste disposal and sanitary structures.

(c) Surveying, Levelling and Land Development : Linear measurements, chain surveying, compass surveying, plane table survey, theodolite surveying, contouring, land grading, survey and design construction procedure contour bench levelling, land grading design and earth work computation, land levelling equipment.

(d) Process and Food Engineering: Units operations in post-harvest processing (cleaning and grading, drying pasteurisation, concentration of milk, shelling/hulling, polishing, crushing/ grinding of grains etc.) processing cereals, pulses, oilseeds, cattle food, fruits and vegetables, design of grain drying systems, milling operation, equipment and systems.

(e) Pumps: Design construction, performances, selection servicing and maintenance of reciprocating pumps, vjute and diffuser type irrigation, centrifugal pumps, gear pumps, vertical turbine pump, submersible pumps and propeller pumps, hydraulic ram, jet pumps and air lift pump.

(f) Storage Engineering: Storage systems and their management, changes in stored products during storage, storage of seeds, foodgrains, their products, air tight, non-air tight and other conventional storages, storage of fruits and vegetables, aerated, refrigerated and controlled atmosphere, design of storage structures including aeration, systems and selection of storage location and related equipments.

AGRICULTURAL ENGINEERING (CODE NO.- 04)

PAPER-II

(a) Thermodynamics and Heat Engines: Concept of energy, temperature and heat, equation of state, first law of thermodynamics for closed and open system, pure substances and properties, second law of thermodynamics and entropy, boilers, mountings and accessories, boiler efficiency, steam engines, ranking cycles, indicator diagrams, steam turbine, I.C. engines, air standard, Otto, diesel and Joule cycles.

(b) Tractor Power: Sources of power on the farms, classification of tractors and I.C. engines, engine components, their construction, operating principles and functions and engine systems, valves and valve mechanisms, fuel and air supply; Coolings, lubrication, Ignition starting and electrical system, engine governing, engine testing and performance, transmission systems of wheel and tract type tractors, clutch, gear box, differential and final drive mechanisms and tractor turning, tractor controls, traction theory, steering and suspension, brakes, tractor power outlets, P.T.O. belt, pulley etc. hydraulic circuits and controls, tractor hitching, category of hitches, mechanics of tractor chassis tractor stability, trouble shooting, tractor repair and maintenance, tractor testing and economic of tractor utilisation.

(c) Farm Machinery: Importance and role of farm machines in the Indian Agriculture, farm machinery systems in use in India, functional requirements, principles of working, construction, operations, adjustments repair and maintenance of tools, implements and machinery operated by different sources power available on Indian farm for tillage, seed bed preparation, sowing and fertilizer application, planting and transplanting, weeding and intercultivation spraying dusting, harvesting, threshing and combining and transport. Analysis of forces and design of components of farm machinery. Crop and soil factors effecting machine performance and energy requirements. Selection of farm machinery and equipment for various farming system and agro-ecological regions, cost analysis and farm machinery management. Energy requirements for various field operations.

(d) Irrigation and Drainage: Water resources of India, surface and ground water sources, utilisation and economics, soil water plant relationship-water relation to soil, infiltration, moisture, evapotranspiration, water requirement and irrigation efficiencies, measurement of irrigation water weirs, Parshall flumes srifleds water conveyance and control design of Irrigation field channels and canals, canalising, design of irrigation channels- Lacey and Kennedy theory, most economical channel cross- section, design of under-ground pipe line water distribution system, structures of under ground pipe lines, water control and diversion structures, irrigation methods-theory and design of surface irrigation methods drip irrigation, sprinkler irrigation and irrigation in salt affected soil.

Drainage Investigations, hydraulic conductivity, drainable porosity, surface drainage, drainage of flat and sloping lands, open ditches design, alignment and construction, nature and extent of sub-surface drainage benefits of sub-surfaces drainage, methods of layout of sub-surface drainage, design of sub-surface drains, depth and spacing of sub-surface drains, installation of drains and drainage wells.

(e) Ground Water Hydrology and Tube well Engineering: Occurance and movement of ground water, steady and transient flow into wells, well interference, well drilling, design of well assembly and gravel pact, installation of well screens, completion and development of wells, surface and sub-surface exploitation of ground water, quality of modeling and project formulation.

(f) Soil and Water Conservation Engineering: Precipitation, geomorphology of watersheds, hydrological analysis, mass curves, and hydrograph, flood routing grasses, water ways and their design. Introduction to water shed management and planning, head water and flood control, soil erosion- water and wind, estimation of soil loss, design of erosion control practices, contour and strip cropping and bundling terracing, wind breaks, shelter belts, Gullies and Ravine reclamation, energy, momentum principles of surface flow, functional requirements of erosion control structures, classifications of structures- temporary and permanent structures, design features of drop structure, chute spillways and pipe spill-ways, design of diversion structures, small earthen embankment, reservoirs and energy dissipators, cost estimation, see- page and theory of consolidation and strength and stability of slopes.

परिशिष्ट-4

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र।
प्रमाण-पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम
तहसील नगर जिला उत्तराखण्ड की जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)
संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। श्री/श्रीमती/कुमारी तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम तहसील
..... नगर जिला में सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर
दिनांक : पूरा नाम
मुहर : पदनाम
जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/
सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/
तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण-पत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/पत्नी/
सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील
..... नगर जिला उत्तराखण्ड के राज्य की
पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य
पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची-1 के
अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम, 1994 की अनुसूची-2 से अधिसंचना
संख्या-22/16/92-का-2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर, 1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।
श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम
तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर
दिनांक : पूरा नाम
मुहर : पदनाम
जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/
सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/
तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण—पत्र

शासनादेश संख्या 4/23/1982—2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर, 1997

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री नगर जिला उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित) पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री(पुत्र की पुत्री)(विवाहित/अविवाहित) और पुत्री के पुत्र/पुत्रीउपयांकित अधिनियम, 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान :

दिनांक :

सुपुत्र/पत्नी/तहसील

..... जिला उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप

से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित)

..... पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री(पुत्र की पुत्री)(विवाहित/अविवाहित) और पुत्री के पुत्र/पुत्रीउपयांकित अधिनियम, 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी

(सील)

निःशक्तता प्रमाण—पत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या —

तारीख

निःशक्तता प्रमाण — पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 लिंग पहचान चिन्ह सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री आयु निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिक्षीय पक्षाघात (फॉलिज)

(i) दोनों टांगे (बी एल) — दोनां पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बांहें (बी ए) — दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगे और बांहें (बी एल ए) — दोनों टांगें और दोनों बांहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ एल) — एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विघ्रम (अटैकिसस)

(v) एक बांह (ओ ए) — एक बांह प्रभावित

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विघ्रम (अटैकिसस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) — पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्लू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –

(i) बी – अंधता

(ii) पी बी – ऑशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(i) डी–बधिर

(ii) पी डी – ऑशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/ इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती।वर्षों महीनों की अवधि के पश्चात पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

*

3. उनके मामले में निश्चितता का प्रतिशत है।

4. श्री/ श्रीमती/ कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/ करती हैं:-

(i) एफ–अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं।

हॉ/ नहीं

(ii) पी पी–धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।

हॉ/ नहीं

(iii) एल–उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।

हॉ/ नहीं

(iv) के सी–घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।

हॉ/ नहीं

(v) बी–झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।

हॉ/ नहीं

(vi) एस–बैठ कर कार्य कर सकते/सकती हैं।

हॉ/ नहीं

(vii) एस टी–खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं।

हॉ/ नहीं

(viii) डब्लू–चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं।

हॉ/ नहीं

(ix) एस ई–देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं।

हॉ/ नहीं

(x) एच–सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।

हॉ/ नहीं

(xi) आर डब्लू–पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।

हॉ/ नहीं

(डा०.....)

(डा०.....)

(डा०.....)

सदस्य

सदस्य

सदस्य

चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/

अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रति हस्ताक्षरित

(मुहर सहित)

* जो लागू न हो काट दें।

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

(अधिसूचना संख्या 64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019 दिनांक 07 मार्च, 2019 के अधीन)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या.....वर्ष.....हेतु मान्य दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

पुत्र/पत्नी/पुत्री.....ग्राम/मुहल्ला.....

पोस्ट ऑफिस.....जिला.....पिन कोड.....

उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है। इनके परिवार की सभी स्रोतों से वित्तीय वर्ष.....की औसत आय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक ₹ 8.00 लाख (रुपये आठ लाख) से कम है और इनका परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता है :-

- (I) कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या
- (II) आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या
- (III) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या
- (IV) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो कि.....जाति से हैं और भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं है।

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर
नाम.....
पदनाम.....

आवेदक का नवीनतम
पासपोर्ट साइज का
प्रमाणित फोटो

matsuk

शासनादेश संख्या : 374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्धांत :-

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में Benchmark विकलांगता धारित अभ्यर्थी जो Blindness (अंधता), locomoter disability (Both arm affected-BA) (चलनक्रिया (दोनों हाथ प्रभावित)) तथा cerebral palsy (मस्तिष्क घात) से ग्रस्त हैं तथा इसके अतिरिक्त वे समस्त अभ्यर्थी, जो देश के किसी भी क्षेत्र में अवस्थित सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारी (मुख्य चिकित्साधिकारी/शल्य चिकित्सक/चिकित्सा अधीक्षक) द्वारा निर्गत परिशिष्ट-5(1) प्रारूप में प्रमाण पत्र धारित करते हैं, को श्रुतलेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा उक्त का दावा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना होगा। परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट-5(1) की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित परिशिष्ट-5(2) की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

2. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि श्रुतलेखक की सुविधा आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जानी है अथवा अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं श्रुतलेखक को लाने का दावा किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट-1 की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित परिशिष्ट-5(2) की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

3. यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट-5(1) प्रमाणपत्र की प्रति आयोग कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा तथा अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार होगा।

4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से एक स्तर कम होगी किंतु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होगी। दिव्यांग अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किंतु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा।

5. दिव्यांग अभ्यर्थी की परीक्षा (प्रारंभिक/स्क्रीनिंग/लिखित) आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रारूप पर नहीं ली जाएगी और न ही प्रश्नपत्र के प्रारूप में किसी प्रकार का संशोधन किया जाएगा।

6. कम्प्यूटर आधारित परीक्षाओं हेतु विकलांगता धारित अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि से एक दिन पूर्व कम्प्यूटर सिस्टम के निरीक्षण की सुविधा दी जाएगी। आयोग द्वारा अभ्यर्थी को कम्प्यूटर परीक्षा हेतु स्वयं का केवल की-बोर्ड तथा माउस लाने की अनुमति दी जाएगी।

7. श्रुतलेखक की सुविधायुक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो कि 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।

8. जिन परीक्षाओं में केलकुलेटर की सुविधा अनुमन्य होगी उन परीक्षाओं हेतु दिव्यांग अभ्यर्थियों को talking calculator की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा श्रुतलेखक व अभ्यर्थी के मध्य संचार हेतु उपयोग में लाई जाने वाले उपकरण जैसे (tailor frame, Braille slate, abascus, geometry kit, communication devices etc.) भी परीक्षा हेतु अनुमन्य होंगे; उपरोक्त सभी उपकरण अभ्यर्थी द्वारा स्वयं लाये जायेंगे।

9. दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक दशा में भू-तल के निर्धारित परीक्षा-कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

सचिव

APPENDIX-5(I)

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs (name of the candidate with disability), a person with (nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o, a resident of (Village/District/State) and to state that he/she has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government Health care institution

**Name & Designation
Name of Government Hospital/
Health Care Centre with Seal :**

Place:

Date:

Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (eg.Visual impairment- Ophthalmologist, Locomotor disability Orthopedic specialist/PMR)

APPENDIX-5(II)

Letter of Undertaking for using own Scribe

I a candidate with (name of the disability) appearing for the (name of the examination) bearing Roll No. at (name of the centre) in the District (name of the State). My qualification is

I do hereby state that (name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate with disability)

Place:

Date:

परिशिष्ट-6

'सम्मिलित राज्य अभियन्त्रण सेवा परीक्षा-2021' हेतुलिखित / साक्षात्कार परीक्षा में न्यूनतम अर्हकारी अंक (Qualifying Marks)

अनारक्षित वर्ग, उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग, उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं सम्बन्धित उपश्रेणी के अभ्यर्थियों को लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षाएवं साक्षात्कार परीक्षा हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2012, 2013 (प्रथम संशोधन), 2014 (द्वितीय संशोधन), 2015 (तृतीय संशोधन) एवं 2016 (चतुर्थ संशोधन) के द्वारा निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है :-

क्र.सं.	आरक्षण की श्रेणी	लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षाका परिणाम तैयार किए जाने हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)	अन्तिम चयन परिणाम (सम्पूर्ण प्रवीणता सूची) तैयार किये जाने हेतु परीक्षा (लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा एवं साक्षात्कार) में निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)
1	अनारक्षित एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	40%	45%
2	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	35%	40%
3	उत्तराखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	35%	40%
4	अनुसूचित जाति श्रेणी/अनुसूचित जनजाति श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	30%	35%

नोट :- सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी के पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक (प्रतिशत में) प्राप्त करने पर ही प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जाएगा।